

भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक आम बैठक-2007 में प्रधानमंत्री का भाषण

दिनांक 24 मई, 2007
नई दिल्ली

“मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ‘समग्र विकास-कार्पोरेट भारत की चुनौतियाँ’ विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए यहां बुलाया। हमारी सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर हमने ‘जनता के नाम रिपोर्ट’ जारी की है, जिसमें उन नीतियों और कार्यक्रमों का विस्तृत ब्योरा दिया गया है, जो हम अपनी आर्थिक विकास प्रक्रियाओं को सामाजिक एवं क्षेत्रीय दृष्टि से अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दो दिन पहले मैंने अपने एक वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि यह सुनिश्चित करना मेरी सरकार का दिशा निर्देशक सिद्धांत रहा है कि आर्थिक विकास की उच्च दर बनाये रखते हुए अर्थ व्यवस्था का परिष्कृत निष्पादन रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने और मानव विकास में योगदान करने वाला अवश्य होना चाहिए। हमारे प्रत्येक प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास अधिक समानता पर आधारित हो, ताकि वह हमारे सर्वाधिक उपेक्षित नागरिकों को अधिकारिता प्रदान कर सके।

मेरा यह विश्वास है कि हमारी उपलब्धियां युक्तिसंगत रही हैं। मैं विकास क्षेत्र की बात बाद में करूंगा। किंतु, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी समस्याएं हल करने की दिशा में अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। यह बात समाज के निर्धनतम वर्गों के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। हमारी सरकार उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही सत्ता में आयी है। हम उस लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं।

समग्र विकास की किसी भी नीति का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ रोजगार के अवसर पैदा करना है। मेरा यह निरंतर विश्वास रहा है कि कृषि और उसकी विकास दर पर बराबर ध्यान देते हुए हमें विनिर्माण क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी अवश्य ध्यान केन्द्रित करना होगा। खेतों के छोटे आकार और उन छोटी जोतों पर खेती में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की व्यवहार्यता की सीमाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से रोजगार के अवसरों का विस्तार करें। यह ऐसा क्षेत्र है, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में बेराजगार कार्मिकों को समाहित कर सकता है। यदि हम अपने देश के सभी लोगों को उत्कृष्ट आजीविका उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो सभी राजनीतिक नेताओं और नीति निर्माताओं को यह सिद्धांत अवश्य स्वीकार करना होगा।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने के प्रयास जारी रखेगी, लेकिन इसके साथ ही उद्योगपतियों का भी यह दायित्व है कि वे अपने उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयासों को अवश्य बढ़ावा दें। इसके लिए

आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, मानव क्षमताओं में निवेश और सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण और वित्तीय दृष्टि से स्थिर विकास प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है। सरकार इस बारे में अपनी भूमिका और दायित्व को भलीभांति समझती है, और हमारा यह मानना है कि हमारे समाज के समृद्ध वर्गों को भी यह दायित्व समझना चाहिए, इसीलिए मैं भारतीय उद्योग परिसंघ से उम्मीद करता हूँ कि वह इस दिशा में नेतृत्व करे।

इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं भारतीय उद्योग परिसंघ के ंपमुख प्रतिनिधियों की सराहना करना चाहूंगा। पिछले 15 या 16 वर्षों में, आपके संगठन ने लोगों की मनोवृत्ति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इससे राष्ट्र के समक्ष पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे 19वीं सदी के यूरोप में निजी उद्यमों की रचनात्मक सामाजिक भूमिका के बारे में लार्ड केन्स के वे शब्द याद आ रहे हैं, जो 1925 में उन्होंने द इकोनोमिक कंसीक्वेंसिज आफ पीस यानी शांति के आर्थिक परिणामों के बारे में लिखे थे। मेरा मानना है कि लार्ड केन्स ने कहा था

“.....यूरोपीय समुदाय की संरचना इस तरह की थी, कि बढ़ी हुई आय का बड़ा हिस्सा समाज के ऐसे वर्ग के नियंत्रण में जा रहा था, जिसकी उसका उपभोग करने कोई रुचि नहीं थी। 19वीं सदी के नये अमीर ज्यादा खर्च नहीं करते थे, और उस अधिकार को वरीयता देते थे, जो उन्हें निवेश के जरिए तत्काल उपभोग के आनंद के रूप में प्राप्त होता था। वास्तव में, यह उस संपदा के वितरण में असमानता थी, जिसके कारण व्यापक अचल संपत्ति एकत्र करना संभव हो जाता था। यही वजह है कि वह युग अन्य युगों से भिन्न था। अगर अमीर अपनी नई संपदा को स्वयं के मनोरंजन में खर्च कर देते, तो दुनिया ऐसी व्यवस्था को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन मधु मक्खियों की तरह उन्होंने (प्रमुख उद्योगपतियों ने) बचत की और धन संग्रह किया। उनका ऐसा करना पूरे समुदाय के लिए कोई घाटे की बात नहीं थी। संपत्ति के बड़े हिस्से पर उनका नाम जरूर अंकित था और सैद्धांतिक दृष्टि से वे उसका उपभोग करने में स्वतंत्र भी थे, लेकिन व्यवहार में उन्होंने धन का अधिक उपभोग नहीं किया। इस प्रकार “बचत” सच्चे धर्म का सद्गुण बन गया और धन के हिस्से में बढ़ोतरी उसका लक्ष्य तय हुआ।” यही आधुनिक पूंजीवाद के विकास की कहानी है जिसके चलते सभी ओर सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिदृश्य में जबरदस्त बदलाव हुआ।

आप सभी को हमारे परिष्कृत कार्य निष्पादन से लाभ पहुंचा है। जब मैं भारतीय अरबपतियों और खरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी, विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खरीदे जाने, अवरुद्ध हवाई अड्डों में भारतीय निवेश, भू संपदा में तेजी, नए अवकाश गंतव्यों, सीईओ के रूप में बहुत ही ऊंचे वेतन पैकेज आदि लेने का पता चलता है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को विकास प्रक्रिया का लाभ मिला है।

मैं ये भी जानता हूँ कि आप वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप अपने लिए निरंतर मानदंड तय करते रहते हैं। मैं इस तथ्य से परिचित हूँ कि किसी भी कंपनी का प्राथमिक दायित्व शेयर धारकों और उसके कर्मचारियों के प्रति होता है। आपको अपना व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा। किंतु, इस दौड़ में विजय प्राप्त करने के लिए आपको एक सामंजस्य पूर्ण वातावरण में काम करना होगा। सामंजस्य पूर्ण वातावरण का अर्थ है, ऐसा वातावरण, जिसमें सभी नागरिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपनी समान भागीदारी महसूस करें; एक ऐसा वातावरण जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य की आशा जगे।

आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में व्यापार जगत को अपना बृहत् सामाजिक दायित्व अवश्य समझना चाहिए। अब समय आ गया है कि हमारे समाज के समृद्ध वर्ग-न केवल संगठित उद्योग बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों से संबद्ध संपन्न वर्ग इस बात की आवश्यकता महसूस करें, हमें अपनी विकास प्रक्रिया को अधिक समग्र बनाना है; अत्यधिक उपभोग से बचना है; अधिक बचाना है और व्यर्थ नहीं जाने देना है; ताकि उपेक्षित और निर्धन वर्गों की देखभाल की जा सके और ईमानदारी, परिष्करण और दानशीलता की आदर्श भूमिका अदा की जा सके।

इसलिए भारतीय उद्योग को विकास प्रक्रिया को सक्षम और समग्र बनाने की चुनौती का सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। सरकार इसी प्रयास में लगी हुई और आपका भी यही प्रयास होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस विशाल राष्ट्रीय उद्यम को सफल बनाने में आपकी भागीदारी रहेगी। जो बेहतर स्थिति में हैं, अगर वे अधिक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभायेंगे, तो हमारी विकास प्रक्रिया जोखिम में पड़ सकती है, हमारी राजनीति में अराजकता आ सकती है, और हमारा समाज छिन्न भिन्न हो सकता है। हम इन सब विलासिताओं को सहन नहीं कर सकते।

मैं भारतीय कंपनी जगत को आमंत्रित करता हूँ कि वह देश को अधिक मानवीय और न्याय आधारित समाज प्रदान करने में योगदान करे। हमें समग्र विकास के लिए एक नई भागीदारी की आवश्यकता है, जो मेरे विचार में एक 10सूत्री सामाजिक घोषणा पत्र पर आधारित होनी चाहिए।

इसका पहला सूत्र यह है कि आप अपने कार्मिकों का सम्मान करें और उनके कल्याण में निवेश करें। उनके स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा में योगदान करें, उन्हें पेंशन और भविष्य निधि लाभ और ऐसी ही अन्य सुविधायें प्रदान करें। जब तक श्रमिकों को यह भरोसा नहीं होगा कि कार्यस्थल पर उनकी देखभाल की जा रही है, तब तक हम अधिक लचीले श्रम कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में ऐसी राष्ट्रीय सहमति विकसित नहीं कर सकते, जो हमारी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने की पुख्ता व्यवस्था के लिए जरूरी हैं।

दूसरे, कंपनियों का सामाजिक दायित्व अकेले कर आयोजना नीतियों के द्वारा परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसे कार्पोरेट सिद्धांत के दायरे में परिभाषित किया जाना चाहिए, जिसमें उस समुदाय और क्षेत्र की जरूरतों को घटक बनाया जाए, जिसमें कोई कंपनी कार्य करती है। प्रबंधन की यह धारणा पश्चिम से नहीं ली गयी है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। श्री शेषसायीजी

(Seshasayee), ने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। महात्मा गांधी इसे ट्रस्टीशिप कहते थे। यह सिद्धांत एक ऐसे विचार पर आधारित है, कि धनी व्यक्ति का समाज के प्रति और प्रकृति में संतुलन बनाये रखने के प्रति एक दायित्व होता है। उनके अधिकारों के साथ ही दायित्व भी प्रारंभ होते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारी कुछ कंपनियां विश्वसनीय कार्य कर रही हैं। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन हमें ऐसे अनुकरणीय उदाहरणों की और भी आवश्यकता है। मैं सीआईआई के माध्यम से अपने उद्योग जगत से अपील करता हूँ कि वह और भी व्यापक रूप में ऐसी गतिविधियों को अपनाये, जिनसे बृहत् समाज को लाभ पहुंचे।

तीसरा सूत्र यह है कि उद्योग जगत व्यवसाय के सभी स्तरों पर उपेक्षित वर्गों को रोजगार देने में सक्रियता दिखाये। कंपनियों को अपने कार्मिकों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य बढ़ाना चाहिए। इस बारे में मैं रचनात्मक कार्रवाई संबंधी भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट से प्रभावित हुआ हूँ। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर इसका अनुकरण किया जाएगा।

रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को सीआईआई के सदस्यों द्वारा समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। मैं इस बारे में शीघ्र उत्साहजनक परिणाम सामने आने की उम्मीद करता हूँ। आपको ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए, जो शारीरिक दृष्टि से कम सक्षम हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कार्य स्थल पर अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। आपको सशस्त्र सेनाओं के उन सेवानिवृत्त सदस्यों को अवश्य रोजगार देना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपनी जवानी लगायी है, लेकिन जो अपेक्षाकृत कम उम्र में सेवानिवृत्त हो गए हैं।

चौथी बात यह है कि प्रमोटरों और वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों, को अत्यधिक पारिश्रमिक देने से बचना चाहिए और ज्यादा उपभोग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। घोर गरीबी वाले देश में उद्योग जगत को परिलब्धियों का स्तर सामान्य रखना चाहिए। आय और धन में बढ़ती अमानताओं से सामाजिक असंतोष पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि देश भर में आय में वृद्धि के बीच सामंजस्य होना चाहिए। इलक्ट्रॉनिक मीडिया ने अमीर और विख्यात लोगों की जीवन शैली प्रत्येक गांव और तंग बस्ती तक पहुंचा दी है। मीडिया अक्सर उनके धन का अभद्र प्रदर्शन करता है। विवाह-शादियों और अन्य पारिवारिक समारोहों में पानी की तरह पैसा बहाया जाना चिंता का विषय है। यह अभद्र प्रदर्शन गरीबों का अपमान करता है। सामाजिक दृष्टि से यह बरबादी है और इससे निर्धनों के मन में असंतोष के बीज पनपते हैं।

पांचवा सूत्र यह है कि आप लोगों में और उनके कौशल में निवेश करें। प्रतिभाशाली युवाओं को छात्रवृत्तियां देने की पेशकश करें। युवाओं मन में भविष्य की आशाएं जगाएं। उच्च विकास दर का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है, जो रोजगार हासिल नहीं कर पाते। हमें कौशल निर्माण और शिक्षा में निवेश अवश्य करना होगा, ताकि युवाओं

को धंधे में लगाया जा सके। इस संदर्भ में भी मैं भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की पहल की सराहना करता हूँ, जिसने आईआईटी संस्थानों को उन्नत बनाने के उपाय किए हैं। यह बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय उद्योग को कौशल विकास के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने होंगे। चाहे वे आईआईटी संस्थानों के प्रबंधन या देशभर में ग्रीनफील्ड स्किल डिवेलपमेंट सेंटरों के नेटवर्क कायम करने के रूप में किए जायें। सीआईआई के मौजूदा प्रयासों को एक हजार गुणा बढ़ाने की आवश्यकता है और भारतीय कंपनियों को देश के युवाओं की क्षमताओं का निर्माण करने के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए संसाधन आवंटित करने होंगे।

छठा सूत्र है, कि आप प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार का परित्याग न करें। कंपनियों के समूह द्वारा दाम ऊंचे बनाये रखने के लिए उत्पादक-संघों के संचालन की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक ताकतों को मुक्त भूमिका अदा करने के मार्ग में रुकावटें सहन नहीं की जा सकती। एक ऐसे देश में यह बात और भी निराशाजनक है, जहां चीजों के बढ़ते मूल्यों का गरीबों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा हो। उत्पादक-संघ अपराध हैं, और वे मुक्त अर्थ व्यवस्था के सिद्धांत के खिलाफ हैं। यहां तक कि अधिकतम लाभ भी शालीनता की सीमा कमाना जाना चाहिए और उसमें लालच की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। यदि उदारीकृत अर्थव्यवस्था को सफल बनाना है, तो हमें प्रतिस्पर्धात्मक ताकतों को पूरी भूमिका अदा करने का अवसर देना होगा और इस बारे में निजी क्षेत्र को कुछ आत्मसंयम बरतना होगा।

सातवीं बात यह है कि पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करें। भारत की विकास दर अवश्य बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी की संरक्षा और सुरक्षा भी अवश्य की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में उद्योग जगत को बड़ी भूमिका निभानी है। इस बात के साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि हमारी अनेक कंपनियां दिनबदिन पर्यावरण अनुकूल बनती जा रही हैं। संसाधनों के उपयोग का हमारा रिकार्ड बेहतर रहा है, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण एक राष्ट्रीय मिशन है। इस मोर्चे पर उद्योग नेतृत्व प्रदान कर सकता है, जो उसे अवश्य करना चाहिए। एक अरब से अधिक आबादी वाले देश में हम फिजूलखर्ची वाली पश्चिमी जीवन शैली सहन नहीं कर सकते। हमारे यहां प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता की स्थिति बेहतर नहीं है। अत्यधिक उपभोग न केवल सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुचित है। इसलिए दोनों ही दृष्टियों से इसमें कमी लायी जानी चाहिए।

मेरा आठवां सुझाव यह है कि आप उद्यमशीलता और मौलिकता को अपनी कंपनियों में और उनसे बाहर भी बढ़ावा दें। यदि आपके उद्योग को विकास के अगले चरण का लाभ उठाना है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा अभिनव और उद्यमशील होना होगा। पिछले दो दशकों की सफलता की कहानी बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के उद्यमों के उदय के रूप में सामने आयी है। उद्योग का लक्ष्य चूंकि जटिल प्रौद्योगिकियों पर दिनबदिन अधिकार करना, और संगठनात्मक दृष्टि से अधिक सक्षम बनना है, इसलिए उसे अनुसंधान और विकास तथा मौलिकता में निवेश और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते

हुए प्रतिस्पर्धा की भावना बनाये रखनी है। सरकार इस क्षेत्र में कुछ योगदान कर सकती है, परंतु बृहतर दायित्व उद्योग जगत पर ही है।

मेरा 9वां सुझाव ये है कि सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करें। भ्रष्टाचार का कैंसर हमारी राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण ढांचे को क्षति पहुंचा रहा है। घूस की प्रत्येक घटना के पीछे एक लाभ-घटक और एक लाभार्थि होता है। भ्रष्टाचार को यह नहीं समझना चाहिए कि वह विकास की गति को तेज करने वाला है। आज अनेक ऐसी सफल कंपनियां हैं, जो इस लालच से दूर रही हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अन्य कंपनियों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। राजनीति में प्रवेश करने वाले नेताओं को अपनी राजनीतिक गतिविधियों और व्यापार के बीच लक्ष्मण रेखा अवश्य खींच लेनी चाहिए। सीआईआई को व्यापार पद्धतियों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए अपने सदस्यों के वास्ते एक आचार संहिता विकसित करने की आवश्यकता है।

मेरा 10वां सुझाव है कि सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार मीडिया और अर्थव्यवस्था तथा विज्ञापन प्रोत्साहित किए जाने चाहिए। अपने विज्ञापन बजट और मीडिया में निवेश के जरिए आप सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार मीडिया को फलने-फूलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप सामाजिक दृष्टि से उपयोगी संदेशों और कार्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

यह 10 ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें उद्योगपति यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, कि हमारी विकास प्रक्रिया समग्र और व्यापक आधार वाली बन सके। यह सूची संपूर्ण नहीं है। आप इसमें और उपायों को भी शामिल कर सकते हैं, तथा समग्र विकास के लिए स्वयं का सामाजिक घोषणा पत्र भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह के सामाजिक घोषणा पत्र का उद्देश्य बचत और निवेश की ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी है, जिसमें देखभाल, हिस्सेदारी, और संबद्धता के सिद्धांतों पर अमल किया जाता है। हमें यह बहस हमेशा के लिए समाप्त करनी होगी, कि हमारे देश की प्रगति की यात्रा से भारत को नहीं, बल्कि इंडिया को लाभ पहुंच रहा है।

मैंने जिस सामाजिक घोषणा पत्र की बात की है, वह व्यापक समाज के प्रति आपका दायित्व है। सरकार के नाते आपके प्रति हमारा भी दायित्व है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि संपदा का सृजन उन विशाल आर्थिक चुनौतियों को हल करने का एक मात्र रास्ता है, जिनका सामना हमारे देश को करना पड़ रहा है और संपदा केवल उद्यमशीलता एवं रचनाशीलता के जरिए ही हासिल की जा सकती है। सरकार के नाते हम आर्थिक रूपांतरण और सामाजिक भूपरिदृश्य के निर्माण के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने के प्रति वचनबद्ध हैं। उद्योग के साथ प्रतिकूल संबंधों में नहीं, बल्कि उचित भागीदारी पूर्ण संबंधों में हमारा अटल विश्वास है। हमने ऐसा व्यापार उन्मुखी वातावरण बनाने में कठिन परिश्रम किया है, जो तीव्र विकास के अनुकूल है।

परिणाम आप सब के सामने है। यह संयोग मात्र नहीं है, कि पिछले 3 वर्षों में आर्थिक विकास की औसत दर 9 प्रतिशत रही है। यह भी कोई संयोग मात्र नहीं है, कि देश की बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद का 32 प्रतिशत है और निवेश की दर सकल

घरेलू उत्पाद के 35 प्रतिशत पर पहुंच गयी है, जो अब तक की सबसे अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र में तेजी भाग्य के सहारे नहीं आयी है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब 20 अरब डालर को पार कर गया है, तो इसे भी सौभाग्य मात्र नहीं समझना चाहिए। यह कोई करिश्मा नहीं है कि आज हम ट्रिलियन डालर वाली अर्थव्यवस्था हो गए हैं। ये सभी उपलब्धियां संतुलित, विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों का नतीजा है। उन नीतियों का नतीजा है, जिनमें हवाई अड्डों, सड़कों रेलवे और बंदरगाहों सहित बुनियादी ढांचे के प्रत्येक पहलू को मजबूत करने पर बल दिया गया है; वे नीतियां जिनसे घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने में मदद मिली; वे नीतियां जिनसे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला; वे नीतियां जो युवा श्रम शक्ति से उठाये जाने वाले जन सांख्यिकीय फायदों को ध्यान में रखकर तय की गयीं; वे नीतियां जिनसे हमारे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिला; और वे नीतियां जो भारत को व्यापार के लिए अधिक आकर्षक बनाने में सफल सिद्ध हुईं।

भारतीय उद्यमियों के लिए यह समय अनुकूल है। आपकी ऊर्जा और उद्यमशीलता विश्वभर में अपनी पहचान बना रही हैं। दुनिया आज हमें बड़े सम्मान की दृष्टि से देख रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारतीय व्यवसायी और भारतीय व्यापारी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तथा विश्वमंच पर विजयी हो रहे हैं। आपको इस सफलता पर प्रसन्न होने; उसका लाभ उठाने; अधिक संतोष अनुभव करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह कभी नहीं भूलना, कि आज हम जो कुछ हैं, वह मात्र भूमि की देन की वजह से हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने से पूछें कि हम उसे क्या प्रतिदान कर सकते हैं। **इंडिया ने हमें बनाया है, हमें भारत का निर्माण अवश्य करना है।**
